न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 37/2019-20

जाम्बी देवी पति मोंगला मुण्डा – **अपीलकर्त्ता**

ग्राम–सारिदकेल, टोला रीदाडीह थाना–खूँटी, जिला–खूँटी।

बनाम्

अंचल अधिकारी, खूँटी। – **विपक्षी**

आदेष का क्रम सं0 एवं तारीख	**आदेश**	की गई कार्रवाई
22.12.20		

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न
1 कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–1623R27/18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.19 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
सारिदकेल	खूँटी 112	96	821	0.10

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक कथन करते है कि उक्त भूमि उन्होंने तोपा मुण्डा पिता स्व0 सुगन मुण्डा ग्राम–सारिदकेल, टोला रीदाडीह थाना–खूँटी से विक्रय पट्टा सं0 131/127 दिनांक 30.01.19 से क्रय किया है। भूमि का क्रय–विक्रय हेतु अनुमति भवदीय न्यायालय के अनुमति वाद सं0 201/2018–19 दिनांक 30.10.2018 से प्राप्त किया है।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार स्थल जांच की प्रक्रिया चल रही है। सम्पूर्ण जांच होने के पश्चात् नामांतरण की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी बताकर नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अधिवक्ता ने बहस दौरान बताया कि क्रेता एवं विक्रेता दोनों अनुसूचित जनजातियों के सदस्य और छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी के न्यायालय से अनुमति वाद सं0– 201/18–19 द्वारा क्रय–विक्रय की स्वीकृति आदेश प्राप्त कर उक्त भूमि को खरीदा है। अधिवक्ता पुनः कथन करते है कि क्रय–विक्रय संबंधी अनुमति आदेश की प्रति Deed में संलग्न की गयी थी। अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा बिना देखे ही नामांतरण अस्वीकृत कर दी गयी। अंत में अपील स्वीकार करने की प्रार्थना करते है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन किया एवं पाया की आवेदक द्वारा उक्त भूमि का क्रय छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति वाद सं0– 201/18–19 में दिनांक 30.10.2018 को इस न्यायालय से आदेश प्राप्त कर क्रय किया है। अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा पर आवेदक को बिक्री हेतु अनुमति दी गयी है। अंचल अधिकारी द्वारा यह बताकर नामांतरण अस्वीकृत किया गया है कि स्थल जांच की प्रक्रिया चल रही है न्यायसंगत नहीं है।

अतः अपील वाद स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, खूँटी को आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता के नाम दाखिल खारिज करते हुए पंजी 2 में दर्ज कर सरकारी रसीद निर्गत करें।

लेखापित एवं संषोधित

22/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

22/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।